Rc

30-12-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यालय उपखण्ड अ

ीन अधिकारी :– कपि

। वाद संख्या :– 397 /

राहुल पुत्र श्री राधेश्य
एस.टी.जी. चक जहा

फूसाराम पुत्र श्री शि
चक जहाना तहसील

2 राधेश्याम पुत्र फूसारा
जहाना तहसील व जि

3 रामेश्वर पुत्र फूसाराम
जहाना तहसील व जि

4 संजय पुत्र रामेश्वर
जहाना तहसील व जि

5 रामरतन पुत्र रामेश्वर
जहाना तहसील व जि

6 कान्ता पुत्री फूसाराम
संगरिया जिला हनुमा

7 विजयलक्ष्मी पुत्री श्र
जाखड़ांवाली तहसील

दावा अन्त

1. श्री विनोद पारिक अ
2. श्री निर्मलारानी अधिव

वादी द्वारा प्रतिवादी
त इस न्यायालय में प्रस्तु
म राजस्व अभिलेख में चक
थर नम्बर 69 / 308 मुरब
दादी 3.036 हैक्टर, 16 ए
म्बर 70 / 308 मुरब्बा नम्ब
सी चक के खाता संख्या

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 397 / 2019

1 राहुल पुत्र श्री राधेश्याम पुत्र श्री फूसाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, चक 16 एस.टी.जी. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 फूसाराम पुत्र श्री शिवलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, चक 16 एस.टी.जी. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 राधेश्याम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, चक 16 एस.टी.जी. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 रामेश्वर पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, चक 16 एस.टी.जी. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 संजय पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, चक 16 एस.टी.जी. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 रामरतन पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, चक 16 एस.टी. जी. चक जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 कान्ता पुत्री फूसाराम धर्मपत्नि श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

7 विजयलक्ष्मी पुत्री श्री राधेश्याम धर्मपत्नि विकास घोटिया जाति जाट निवासी जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद पारिक अधिवक्ता — वादी
2. श्री निर्मलारानी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30-12-19

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में चक 18 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 69 / 60 के पत्थर नम्बर 69 / 308 मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.036 हैक्टर, 16 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 66 / 66 के पत्थर नम्बर 70 / 308 मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 ता 3, 7 ता 20 तादादी 4.301 हैक्टर, इसी चक के खाता संख्या 9 / 9 के पत्थर नम्बर 75 / 306 मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 15 ता 18, 21 ता 24 तादादी 2.024 हैक्टर, पत्थर नम्बर 74 / 307 मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5 ता 8, 13 ता 15 व 18 तादादी 2.024 हैक्टर में से 0.424 हिस्सा, चक 43 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त खाता संख्या 130 / 127 के पत्थर नम्बर 69 / 309 मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 तादादी 1.265 हैक्टर में .253 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 70 / 64 के पत्थर नम्बर 70 / 309 मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 व 10 तादादी 0.506 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदीयां संलग्न वाद पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.02 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: